राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प. 2(16)राज.6/2007/15 जयपुर, दिनांक : 24-5-2007

परिपत्र

ग्रामदानी गांव के सदस्य जो स्वविवेक से राजस्व ग्राम से ग्रामदानी ग्राम में सम्मिलित होने के लिये अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं परन्तु बाद में वे वापिस राजस्व ग्राम में जाना चाहते हैं तो उन्हें प्रकिया की पूर्ण जानकारी नहीं होने से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है।

राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम, 1971 की धारा 37–क में ग्रागदान समुदाय के बाहर हो जाने के सम्बन्ध में प्रावधान दिया हुआ है जिसके अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11(1) की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के समाप्त होने पर या उसके पश्चात् जिस जिले में ग्रामदान स्थित है, के कलक्टर के समक्ष निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र फाईल की जा सकेगी। किसी ग्रामदान ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्ति उप धारा 1 के अधीन की गई घोषणा जिला कलक्टर के समक्ष फाईल कर दें तो वहां कलक्टर ऐसी घोषणाओं को प्रमाणित जांच और रिपोर्ट के लिये उस ग्राम पर अधिकारिता रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करेगा।

उपखण्ड अधिकारी जिला कलक्टर से प्राप्त घोषणाओं के सम्बन्ध में बैठक की तारीख, स्थान व समय निश्चित करते हुये अलग अलग नोटिस तामील करवायेगा तथा उस ग्राम में पटवारी सार्वजनिक सूचना जारी करवा कर एवम् ग्राम के किसी सार्वजनिक स्थान पर सूचना की प्रति चिपकाकर उस ग्राम में बैठक बुलायेगा। उपखण्ड अधिकारी जांच करके यह सत्यापित करेगा कि क्या ग्रामदानी ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्ति उक्त फाईल की गई घोषणा की पुष्टि करते हैं। उपखण्ड अधिकारी अपनी रिपोर्ट सिफारिश सहित जिला कलक्टर को प्रेषित करेगा। तत्पश्चात् जिला कलक्टर ग्रामदानी बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगा कि उक्त ग्राम ग्रामदानी ग्राम नहीं रहेगा और उस ग्राम के किसान, राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम, 1971 के प्रावधानों से शासित नहीं होंगे। इस अधिसूचना की प्रति राजस्थान सरकार, ग्रामदानी बोर्ड के अध्यक्ष और सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को भेजेगा।

उक्त कार्यवाही का प्रावधान स्पष्ट करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि इन प्रावधानों की जानकारी ग्रामदानी किसानों को व्यापक रूप से उपलब्ध करवाई जावे, ताकि जो किसान ग्रामदान अधिनियम से शासित होना नहीं चाहते वे अपना विकल्प दे सकें।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान ग्रामदान बोर्ड, जयपुर।

उप शासन सचिव